निग /2959/II/15

न्यायालय–श्रीमान् राजस्व मंण्डल महोदय म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

343
20.8.15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

विनोद कुमार पिता शिवप्रसाद मिश्रा (ब्राम्हण) निवासी ग्राम सहुआर तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0 ....**आवेदक/निगरानीकर्ता**

बनाम

1–संजय कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी

2–संतोष कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी

3–बृजेन्द्र कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी सभी निवासी ग्राम सहुआर तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0

4–म0प्र0 शासन ....**अनावेदकगण/उत्तरवादीगण**

श्री. ... द्वारा आज दिनांक 20.8.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर सिंगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक 02/अपील/2013–14 मे पारित आदेश पत्रिका (आर्डर शीट) दिनांक–17.07.2015

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी निम्नांकित आधारो पर प्रस्तुत किया जा रहा है:–

1–यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रिका (आर्डर शीट) दिनांक–17.07.2015 विधि प्रक्रिया के विपरीत व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के खिलाफ होने से निरस्तगी योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–2959/दो/15 जिला–सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश विनोद कुमार/संजय कुमार	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1 –12–2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री राकेश मिश्रा उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । 2– यह निगरानी प्रकरण अपर कलेक्टर सिंगरोली के प्र0कमांक–02/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक–17.7.15 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है । निगरानी ग्राहय करने का निवेदन किया गया । निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश से मात्र यह आदेश दिया गया है कि उत्तरवादी तलब हों, एवं मूल प्रकरण आहूत हो । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश से किसी भी पक्ष के हित प्रभावित होने की वर्तमान में कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है । अतः विचारोपरांत प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि. हो । सदस्य 12-15	1